न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

अपील संख्या 38/2017

1. गूजरमल पुत्र जगन जाति गुर्जर निवासी रौसी, तहसील नादौती, जिला करौली।

अपीलांट

बनाम

1. माधो
2. रूकम
3. नरसी
4. मुकेश } पिसरान सिया
5. राजेन्द्र
6. रामवीर
7. नवाब } पिसरान रूपे
8. समयसिंह पुत्र गिर्राज
9. गोपाल पुत्र गिर्राज
10. रामपति बेवा सिया
11. पीतम बेवा रूपे सभी जाति गुर्जर निवासीयान रौसी तहसील नादौती जिला करौली।
12. शाखा प्रबन्धक, बी.ओ.बी. बैंक शाखा केमला तहसील नादौती जिला करौली।

रेस्पो0

(अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय उप जिला कलक्टर नादौती मु0न0 13/2017 निर्णय दिनांक 26.04.2017 उनवानी गूजरमल बनाम माधो बगै0)

उपस्थित अभिभाषक

1. अपीलांट की ओर से श्री ईश्वर सोनी
2. रेस्पो0 की ओर से श्री लियाकत अली

निर्णय **दिनांकः 12.01.2021**

1. प्रस्तुत अपील अपीलांट की ओर से अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट (राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955) के तहत मुकदमा नम्बर 13/2017 निर्णय दिनांक 26.04.2017 उनवानी गूजरमल बनाम माधो बगै0 के विरूद्ध पेश की गई है। अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि अधिनस्थ न्यायालय में सायल ने एक प्रार्थना पत्र विरूद्व गैरसायलान इस आशय का पेश किया है कि आराजी खसरा नम्बर 228 रकबा 02 बीघा 08 बिस्वा, दोराने सेटेलमेन्ट उक्त साबिक खसरा नम्बर का नया खसरा नम्बर 667 रकबा 60 एयर, ग्राम रौसी तहसील नादौती जिला करौली में स्थित है। गैरसायलान के बुजुर्गान तुलसी पुत्र चन्दे जाति गुर्जर निवासी रौसी को दिनांक 05.08.1960 में घरू ... होने के कारण उक्त तुलसी ने सायल को साबिक खसरा नम्बर 22... घा 8 बिस्वा ग्राम रौसी तहसील नादौती जिला करौली को ... 1100/–रूपये ... कय कर दिया और दिनांक 05.08.1960 को एक विक्रयनामा स्टा... सायल तहरीर तकमील करा कर विक्रयनामा पर अपनी निशानी अंगूठा कर दी तथा उपस्थित गवाहान के सामने विक्रयनामा पर हस्ताक्षर निशानी करा कर विक्रयनामा हवाले सायल कर दिया तथा मौके पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2021.01.14 13:33:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

उसी दिन उक्त तुलसी ने सायल को बहैसियत मालिक कब्जा दे दिया और तभी से यानी दिनांक 05.08.1960 से सायल उक्त तुलसी से क्रय की गई भूमि पर बहैसियत मालिक खातेदार काबिज होकर बिना किसी रोक टोक के शान्ति पूर्वक काश्त करता चला आ रहा है तथा सरकारी लगान सायल जरिये गैरसायलान अदा करता चला आ रहा है। गॉवों में विद्युतीकरण होने के कारण व आम व्याप्त मंहगाई के कारण उक्त भूमि तालाब पेटे होने के कारण अत्यधिक कीमती हो गई है। इस कारण गैरसायलान की नियत में बद्यान्ति हो गई है और गैरसायलान येन केन प्रकारेण सायल व उसके परिवार को आये दिन हेरान परेशान कर आराजी को लट्ठ की ताकत से बेदखल कर स्वयं जबरन कब्जा करने पर उतारू है। घटना दिनांक 08.02.2017 को सुबह करीब 9 बजे की बात है कि सायल विवादित भूमि में बोई हुई फसल को देखने गया तो समस्त गैरसायलान हाथो में लाठी डण्डा ले लेकर मौके पर आ गये और सायल से बोले बुढ्ढे भाग जा हमारे हाथो से क्यो मरता है, जमीन हमारे नाम है और हम हर हालत में तुझे इस जमीन से बेदखल कर स्वयं जबरन कब्जा करके रहेंगे और यदि गैरसायलान अपने गलत व गैर कानूनी ईरादे में कामयाब नहीं हुये तो किसी लठेत व्यक्ति से अच्छी रकम लेकर विक्रय पत्र तस्दीक करा देंगे। बडी मुश्किल से गैरसायलान को समझा बुझा कर वापिस किया फिर भी जाते समय ऐलानिया धमकी दी है कि अगर इस जमीन से कब्जा नही हटाया तो वे सायल को हर सूरत में बेदखल करके रहेगे अगर गैरसायल अपने उपरोक्त गलत व गैर कानूनी इरादो में कामयाब हो गये तो सायल को अत्यधिक हानि हो जावेगी और जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार संभव नहीं हो सकेगी। उपरोक्त परिस्थितियों में सुविधा का सन्तुलन व फाईमापेशी केश सायल के हकमें बखूबी साबित है। गैर सायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किये जाने से उन्हे कोई हानि किसी प्रकार की नहीं है। अतः गैरसायलान, सायल की कब्जे काश्त की आराजीयात में कृषि कार्य कर लाभ अर्जित करने में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से किसी प्रकार की कोई मजाहमत व मदाखलत पैदा नहीं करे व सायल को बेदखल नहीं करे तथा सायल को निर्विघ्न रूप से उक्त आराजियात को पूर्ववत सुखपूर्वक काश्त करने दे। इसलिए सायल ने गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सायल/अपीलांट का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किये जाने से व्यथित हो कर अपीलांट/सायल द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

2. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर क[illegible]तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर बहस [illegible] पक्ष [illegible]भाषकों की सुनी गई।

3. अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने बह[illegible] हुए अभिकथन किया कि तहत न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि के प्राव[illegible] एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 228 रकबा 02 बीघा 08 बिस्वा, ग्राम रौसी तहसील नादौती जिला करौली में स्थित है। रेस्पो0 के बुजुर्गान तुलसी पुत्र चन्दे जाति

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2021.01.14 13:33:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

गुर्जर निवासी रौसी ने दिनांक 05.08.1960 को घरू जरूरत के वास्ते रूपयों की आवश्यकता होने के कारण उक्त तुलसी ने अपीलांट को साबिका खसरा नम्बर 228 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा ग्राम रौसी तहसील नादौती जिला करौली को बिल एवज 1100/–रूपये में विक्रय कर दिया और दिनांक 05.08.1960 को एक विक्रयनामा स्टाम्प पचास नये पैसे पर बहक अपीलांट तहरीर तकमील करा कर मृतक तुलसी ने जेरे विक्रयनामा पर अपनी निशानी अंगूठा कर दी तथा उपस्थित गवाहान के जेरे विक्रयनामा पर हस्ताक्षर निशानी करा कर विक्रयनामा हवाले अपीलांट कर दिया तथा मौके पर उसी दिन उक्त तुलसी ने अपीलांट को बहैसियत मालिक कब्जा दे दिया और तभी से यानी दिनांक 05.08.1960 से अपीलांट उक्त तुलसी से क्रय की गई भूमि पर बहैसियत मालिक खातेदार काबिज होकर बिना किसी रोक टोक के शान्ति पूर्वक काश्त करता चला आ रहा है। गॉवों में विद्युतीकरण होने के कारण व आम व्याप्त मंहगाई के कारण उक्त भूमि तालाब पेटे होने के कारण अत्यधिक कीमती हो गई है, इस कारण रेस्पो0 की नियत में बद्यान्ति आ गई है और रेस्पो0 येन केन प्रकारेण अपीलांट व उसके परिवार को आये दिन हेरान परेशान कर अपीलांट को लट्ठ की ताकत से बेदखल कर स्वयं जबरन कब्जा करने पर उतारू है। यदि रेस्पो0 अपने गलत व गैर कानूनी ईरादे में कामयाब नहीं हुये तो किसी लठेत व्यक्ति से अच्छी रकम लेकर विक्रय पत्र तस्दीक करा देंगे। अगर रेस्पो0 अपने उपरोक्त गलत व गैर कानूनी इरादो में कामयाब हो गये तो अपीलांट को अत्यधिक हानि हो जावेगी और जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार संभव नहीं हो सकेगी। उपरोक्त परिस्थितियों में सुविधा का सन्तुलन व प्राइमापेशी केश अपीलांट के हक में बखूबी साबित है। रेस्पो0 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किये जाने से उन्हे कोई हानि किसी प्रकार की नहीं होगी। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय पारित करते समय इस बिन्दु पर भी कोई गौर नहीं किया कि अपीलांट उक्त विवाद ग्रस्त आराजी पर सन 1960 से काबिज है तथा एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है, तथा कानूनन कब्जा वापिसी की भी मियाद निकल चुकी है। अतः रेस्पो0, अपीलांट की कब्जे काश्त की आराजीयात में कृषि कार्य कर लाभ अर्जित करने में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से किसी प्रकार की कोई मजाहमत व मदाखलत पैदा नहीं करे व अपीलांट को बेदखल नहीं करे तथा अपीलांट को निर्विघ्न रूप से उक्त आराजियात को पूर्ववत सुखपूर्वक काश्त करने दे। इसलिए अपीलांट, रेस्पो0 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

4. रेस्पो0 के विद्वान अभिभाषक ने उपरोक्त तर्को का प्रतिरोध करते हुए अपील बहस में तर्क प्रस्तुत करते हुए बताया कि अपीलांट ने झूठे एवं गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया है। रेस्पो0 के बुजुर्ग तुलसी पुत्र चन्दे से दिनांक 05.08.1960 को ग्यारह सौ रू0 में कोई विक्रयनामा ना ही तहरीर व तकमील किया, स्टाम्प फर्जी जाली एवं बनावटी है ना ही विक्रय नामा स्टाम्प पचास नए पैसे पर बहक अपीलांट तहरीर तकमील किया, जिसमें कही भी विक्रेता का नाम अंकित नहीं है एवं दिनांक 01.04.1960 को बाबूलाल महाजन के द्वारा क्रय किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Rajput
Date: 2021.01.14 13:33:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

जाना अंकित है एवं तुलसी हस्ताक्षर करते थे, अगूठा नहीं लगाते थे। अपीलांट के द्वारा वयकलम रामचरण की होना बताया है जबकि ना ही वयकलम रामचरण की है, ना ही रामचरण के हस्ताक्षर है। रेस्पो0 ने सीमाज्ञान कराया था तब भी उक्त विक्रय पत्र अपीलांट के कब्जे में नहीं था ना ही थाना नादौती में रिपोर्ट दर्ज होने पर अपीलांट के पास था अगर होता तो अपीलांट उसी समय दिखाता अपीलांट जाली कूट रचित दस्तावेज तैयार कर भूमि को हडपना चाहता है। सुविधा एवं संतुलन रेस्पो0 के पक्ष में साबित है। विवादित आराजी रेस्पो0 की खातेदारी एवं काश्तकारी भूमि है। रेस्पो0 के द्वारा ही उक्त भूमि का सरकारी लगान अदा करते चले आ रहे है। वेसे भी अपीलांट का अनरजिस्टर्ड दस्तावेज साक्ष्य में ग्राह्य भी नहीं है। अनरजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर रेवेन्यू न्यायालय में दावा नहीं लाया जा सकता है, ना ही दावा एवं प्रार्थना पत्र रेवेन्यू न्यायालय में चलने योग्य है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है। वह विधि अनुरूप है। जिसमे किसी प्रकार की कोई कानूनी भूल निहित नही है। अतः अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज फरमाई जावे।

5. उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषको द्वारा बहस में प्रस्तुत तर्को पर मनन किया, पत्रावलीयों का अद्योपान्त अवलोकन किया गया।

6. राजस्व रिकार्ड नकल जमाबंदी सम्वत 2070 वाके ग्राम रौसी के खतौनी संख्या 423 के अनुसार खसरा नम्बर 667 रकबा 0.60 एयर समय सिंह, गोपाल सिंह पिसरान गिर्राज हिस्सा 1/3, सिया पुत्र शिव लाल हिस्सा 1/3, राजेन्द्र, रामवीर, नवाब पिसरान रूपे हिस्सा 5/6 पीतम पत्नी रूपे हिस्सा 1/6 दर हिस्सा 1/3 जाति गुर्जर के नाम अंकित है। पत्रावली पर दिनांक 05.08.1960 की 50 नये पैसे के स्टाम्प पर एक अपंजीकृत लिखावट की फोटो प्रति उपलब्ध है। अपंजीकृत लिखावट होने के कारण प्रथम दृष्टया प्रकरण नहीं प्रकट नहीं होता है। विचारण न्यायालय द्वारा निणर्य दिनांक 26.04.2017 विस्तृत रूप से विश्लेषण कर पारित किया गया हैं। जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि दृष्टव्य नहीं होती है। इसलिए अपील खारिज योग्य है।

7. अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलक्टर, नादौती के मु0नं0 13/2017 निर्णय दिनांक 26.04.2017 को यथावत रखा जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 12.01.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12/1/21

(बी.एल.रमण)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2021.01.14 13:33:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner